



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून अक्टूबर 2-11 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर वन कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी में दैवीय आपदा के अन्तर्गत बाड़िया गांव क समीप यमुना नदी पर 80 मीटर स्पान झूला पुल का निर्माण हेतु 0.2075 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

संदर्भ:-

प्रस्ताव संख्या FP / UK / ROAD / 15439 / 2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ने अपने पत्रांक 278 / 12-1 दिनांक 01-08-2015 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी में दैवीय आपदा के अन्तर्गत बाड़िया गांव के समीप यमुना नदी पर 80 मीटर स्पान झूला पुल निर्माण हेतु अपेक्षित 0.2075 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ऑन लाईन प्रेषित किया है । प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5	6
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट यमुनोत्री रेंज	आरक्षित वन भूमि भैरव कक्ष-1	102-15 X 15 25 X 12	0.045 0.030	रिक्त	रिक्त
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट यमुनोत्री रेंज	योग आरक्षित भूमि सिविल भूमि बाड़िया गांव	102-15 X 15 250 X 2.50 100 X 2.50	0.075 0.045 0.0625 0.025	-रिक्त-	रिक्त
	योग सिविल भूमि कुल योग वन भूमि-		0.1325 0.2075	रिक्त	रिक्त

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के द्वारा प्रस्तावित झूला पुल के निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य के लिए संस्तुति की गई है । झूला पुल निर्माण हेतु कोई वृक्ष बाधित नहीं हो रहा है ।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि ।

(आर0के0मिश्र)

वन संरक्षक,

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को उनके पत्रांक 927 / 12-1

दिनांक 12-10-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0के0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम- जनपद उत्तरकाशी में दैवीय आपदा के अन्तर्गत बाड़िया गांव क समीप यमुना नदी पर 80 मीटर स्पान झूला पुल का निर्माण हेतु 0.2075 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है ।

दिनांक - 2-11-2015
स्थान - देहरादून ।
अक्टूबर, 2015

हस्ताक्षर

नाम - (आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड, देहरादून ।